रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2758] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2019/श्रावण 31, 1941
No. 2758] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2019/ SHRAVANA 31, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

का.आ. 3023(अ).—पर्यावरण के संरक्षण तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता की निगरानी के यंत्रों तथा उपस्करों के प्रमाणन संबंधी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआइआर-एनपीएल) को उत्सर्जनों तथा परिवेशी वायु की निगरानी के लिए यंत्रों तथा उपस्करों के प्रमाणन हेतु राष्ट्रीय सत्यापन एजेंसी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है।

2. सीएसआइआर-एनपीएल द्वारा निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों (सीईएमएस) के अतिरिक्त हस्तचालित सांचों तथा निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएक्यूएमएस), दोनों के लिए आइएसओ 17605 और आइएसओ 17025 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में आवश्यक अवसंरचना, प्रबंधन प्रणाली और परीक्षण तथा प्रमाणन सुविधाएं विकसित की जाएंगी और सीएसआइआर-एनपीएल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से मापनों के लिए सभी प्रलेखन तथा प्रोटोकॉल की तैयारी के लिए भी उत्तरदायी होगी।

[फा. सं. क्यू-16017/72/2018-सीपीए]

निधि खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY ON ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2019

S.O. 3023(E).—Whereas, with a view to protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution, there is a need to take measures relating to certifying instruments and equipments for monitoring air quality.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government here by designates the Council of Scientific and Industrial Research - National Physical Laboratory (CSIR-NPL) as national verification agency for certifying instruments and equipments for monitoring emissions and ambient air.

2. CSIR-NPL shall develop necessary infrastructure, management system, testing and certification facilities conforming to international standards like ISO 17605 and ISO 17025 for both manual samplers and Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAQMS) in addition to Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS) and CSIR-NPL shall also be responsible for preparation of all documentation and protocol for measurements, in consultation with the Central Pollution Control Board.

[F. No. Q-16017/72/2018-CPA]

NIDHI KHARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.23 12:51:16 +05'30'